तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर अहल... हुक्म में
11.2.2021	पत्रावली पेश। वकील वादी उपस्थित। बहस विद्वान अधिवक्ता वादी पर विचार किया। दौराने बहस विद्वान अधिवक्ता वादी द्वारा वादपत्र के कथनों को दोहरा कर कथन किये कि माफी रिज्यूम हो चुकी है, किन्तु उसका अंकन अभी भी वादग्रस्त भूमि पर चला आ रहा है। वादग्रस्त भूमि पर उक्त अंकन दिखावटी रह गया है। वादी को उक्त अंकन के परिणाम स्वरूप कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। अतः दावा स्वीकार किया जाकर उक्त माफी के अंकन को हटाये जाने का आदेश प्रदान फरमाया जावे। बाद बहस पत्रावली का आद्योपान्त अवलोकन किया। वादी द्वारा वादपत्र में अंकित कथन, वर्णित तथ्य, वांछित अनुतोष, जवाब सरकार एवं वादी द्वारा अपने कथनों के समर्थन में प्रस्तुत साक्ष्य पर सम्यक विचार किया गया। वादी द्वारा वाद अन्तर्गत धारा 88 R.T. Act सपठित धारा 136 L.R. Act इन कथनों सहित प्रस्तुत किया है, कि ग्राम धायपुरा की भूमि आराजी खसरा नम्बर 29, 31, 264, 308, 309, 310, 311, 312, 313	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

किता 9 रकबा 5.29 हेक्टर आराजी स्थित थी उक्त भूमि पर वादी का प्रथकपेठा खातेदारी स्वत्व प्राप्त है।

उक्त अराजी पर "माफी चाकरी डिडडी राम पुजारी" शब्द का अंकन किया हुआ है उक्त अंकन हटाने हेतु वादी द्वारा प्रति० को नोटिस दिया गया किन्तु प्रतिवादी द्वारा अंकन दुरुस्त नहीं करने के कारण यह दावा किया गया।

अंत में वादी द्वारा निवेदन किया गया कि दावा वादी स्वीकार किया जाकर बारानी भूमि ख०नं० 29.91, 264, 308, 309, 310, 311, 312, 313 किता 9 रकबा 5.29 हे० का वादी को खातेदार घोषित किया जाकर राजस्व रिकार्ड दुरुस्त कर "माफी चाकरी डिडडीराम पुजारी" शब्द हटाने का आदेश प्रदान किया जावे।

दावा वादी पेश होने पर प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादी को जरिये सम्मन तलब किया। प्रतिवादी द्वारा जवाब प्रस्तुत किया। जवाब उपरान्त प्रकरण में निम्न तनकी कायम की गई।

(1) आया बारानी भूमि ग्राम चाम्पुरा की भूमि की माफी रिज्यूम हो चुकी है।

जिम्मे वादी

उपखण्ड अधिकारी
रामगंजमण्डी

क्रमशः:-

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व अहकाम हुक्म की में जारी
	(2) आया वादी बारानी भूमि पर से "माफी चाकरी सिङ्डीराल पुजारी" शब्द हटवा कर बारानी भूमि का खातेदार घोषित होने का हकदार है। जिम्मे वादी (3) दादरसी वाद कायमी तनकी पक्षकारान को अपने अपने साक्ष्यादि प्रस्तुत करने के अवसर दिये गये। दौराने साक्ष्य वादी द्वारा स्वयं का शपथ-पत्र प्रदर्श PW-1, नकल जमाबंदी ग्राम धायपुरा 2070-73 खाता नं.112 प्रदर्श-1, रसीद डाक निकाय प्रदर्श-2, रजि. A.D. प्रदर्श-3 नोटिस U/S. धारा 80 C.P.C., प्रदर्श-4, नकल खसरा गिरदावरी 2070-73 ग्राम धायपुरा प्रदर्श-5, नकल फर्द निकाय ग्राम धायपुरा 2004-2024 प्रदर्श-6, नकल खतौनी ग्राम धायपुरा 2020-23 प्रदर्श-7, नकल जमाबंदी ग्राम धायपुरा संवत 2024-27 प्रदर्श-8, नकल जमाबंदी ग्राम धायपुरा सं. 2032-35 प्रदर्श-9, नकल जमाबंदी बंदोबस्त सन् 2004-24 खाता नं.120 प्रदर्श10, प्रकरण में वाद बहस पत्रावली का अवलोकन किया। तनकीवार विवेचन निम्न प्रकार है तनकी नम्बर 1:— इस तनकी को सिद्ध करने का भार वादी पर था। वादी द्वारा स्वयं उपखण्ड अधिकारी रामगंजमण्डी	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

का शपथ-पत्र प्रदर्श पी.डब्ल्यू-1 तथा पूर्व वर्णित प्रदर्श-1 से प्रदर्श-10 प्रस्तुत किये थे। इस प्रदर्श-7 ग्राम चायपुरा की भूमि किता 6 रकबा 2.21 हे० पर गैन्दानाथ पुत्र ओंकारनाथ बैरागी के नाम दर्ज है, तथा कॉलम सं. 4 में रिज्यूम माफी का अंकन किया हुआ था। उक्त जमाबंदी संवत 2020-23 का थी। आगामी संवत 2024 से 27 में माफी चाकरी खिडकीराम पुजारी का अंकन कर दिया गया जबकि पूर्व में इस प्रकार का अंकन जो प्रदर्श-8 में दर्ज है वह पूर्व में दर्ज नहीं था। प्रदर्श-8 में जरिये नामान्तरण नं. 58 से गैन्दानाथ की बजाय हीरानाथ का नाम दर्ज किया गया।

प्रदर्श-9 में नामा नं. 58 का अमल करते हुये माफी खिडकीराम पुजारी का अंकन रखते हुये गैन्दानाथ के स्थान पर उनके पुत्र हीरानाथ का नाम दर्ज किया गया। इस कार्य सिनाक सन् 2004-24 के अनुसार साविक खसरा नं० 29, 31, 264, 308, 309, 310, 311, 312, 313 से ये खसरा नम्बर पैमूद किये गये थे साविक ख० नं. 28, 87, 236, 397, 398, 399, 400, 401 402 से ही उक्त नम्बर बने थे।

चूंकि वादग्रस्त भूमि पर से माफी 2020 में ही रिज्यूम की जा चुकी थी जिसे आगामी जमाबंदी में पुनः दर्ज कर

उपखण्ड अधिकारी
[illegible]

क्रमशः

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	
	किया गया है अतः यह तनकीह बहक वादी तय की जाती है तनकीह नं० 2:- इस तनकीह को सिद्ध करने का भार वादी पर था। वादी द्वारा पूर्व वर्णित साक्ष्य प्रस्तुत किये हैं। वादी द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य से मात्र इतना प्रमाणित है, कि बारानी भूमि पर अंकित माफी रिज्यूम हो चुकी है परन्तु वादी बारानी भूमि पर एकमात्र खातेदार घोषित होने का हकदार हो ऐसा कोई तथ्य प्रस्तुत नहीं किया है अतः बारानी भूमि पर से माफी के अंकन हटाया जाना पूर्व वर्णित तनकीह अनुसार उचित पाया जाता है उपर्युक्त विवेचन के आधार पर यह तनकीह अंशतः बहक वादी तय की जाती है ③ सहायता:- तनकीह नम्बर 1 व 2 के विवेचन व विश्लेषण के आधार पर बारानी भूमि पर से "माफी पिडडीराम पुजारी" नामक अंकन हटाये जाने तक उचित पाया जाता है उपखण्ड अधिकारी [illegible]	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	अतः गुणावगुण के आधार पर वाद वादी अंशतः स्वीकार किया जाकर यह आदेश दिये जाते हैं, कि ग्राम भायपुरा की भूमि ख० नं० 29, 31, 264, 308, 309, 310, 311, 312, 313 किता 9 रकबा 5.29 हैक्टर पर से "माफी चाकरी हिडडीराल पुजारी" शब्द का अंकन हटाया जाकर रिकार्ड दुरूस्त किया जावे। तदनुसार डिक्री मुरत्तिब हो। निर्णय आज दिनांक 11.2.2021 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुला न्यायालय में सुनाया गया। (दशाल दान) I.A.S. उपखण्ड अधिकारी रामगंजमण्डी	

अंतिम डिकरी व मुकद्मे [redacted]

(आर्डर 20, रूल 6-7, जाब्ता दीवानी)

(Civil Procedure Code, Appendix 'D'-1)

बअदालत उपखण्ड अधिकारी मुकाम रामगंजमण्डी

ब इजलास देशल दान (I.A.S.)

सुभाषचंद बनाम सरकार

2018
00145

दावा बाबत 88 R.T. Act 1955

मुकद्मा नं. 86 सन् 2018

यह मुकद्मा आज वास्ते इनफिसाल कतई रू-ब-रू मुझ देशल दान (I.A.S.)

बहाजरी श्री सोमाराम अली एड. मिनजानिब मुद्दई व पैरोकार सरकार

मिनजानिब मुद्दायलाह पेश होकर, हुक्म दिया जाता है व डिकरी दी जाती है कि

वादवादी अंशत: स्वीकार किया जाकर यह आदेश दिये जाते हैं, कि ग्राम धायपुरा की भूमि ख.नं. 29, 91, 264, 308, 309, 310, 311, 312, 313 किता 9 रकबा 5.29 है० पर से "माफी चाकरी ढिंडोरल दुवारी" शब्द का अंकन हटाया जाकर रिकार्ड दुरुस्त किया जावे।

चीज — मुबालिग — बाबत —

खर्चा इस मुकद्मे के मय सूद व शरह — फीसदी सालाना आज की तारीख से तारीख वसूलयाबी तक — को अदा करे।

बसब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख 11 माह 02 2021.
को जारी की गई।

दस्तखत उपखण्ड अधिकारी
ओहदा रामगंजमण्डी

मुहर

मुद्दई	रुपया	पै.	मुद्दायलाह	रुपया	पै.
स्टाम्प अर्जी दावा			स्टाम्प वकालतनामा		
स्टाम्प वकालतनामा			स्टाम्प अर्जी		
स्टाम्प वजह सबूत			महनताना वकील पर		
महनताना वकील			खर्चा गवाहान		
खर्चा गवाहान			फीस कमिश्नर		
फीस कमिश्नर			बाबत इजराय हुक्मनामा		
बाबत इजराय हुक्मनामा			मुतफर्रिक		
मुतफर्रिक			मीजान ...	—	—
मीजान....	—	—			

नोट:-इस खर्चे के फार्म पर कुल खर्चा हर दो फरीकेन का, चाहे डिकरी के जरिये दिलाया गया हो या नहीं दर्ज करना चाहिये। वाद व्यय पक्षकार अपना अपना वहन करें

रा. मु. मो. 139-2006-1,00,000 फार्म

उपखण्ड अधिकारी
रामगंजमण्डी